IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
6370 प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर–9
9/8/18 वृन्दावन योजना लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक / सं0प्र0–वृन्दा0 दिनांक

कार्यालय आदेश

परिषद की वृन्दावन योजना रायबरेली रोड लखनऊ के अन्तर्गत भवन सं0–11A/186 का आवंटन पत्र कार्यालय के पत्र सं0–7972 दिनांक 03.09.2009 द्वारा श्रीमती निधी तिवारी पत्नी श्री कृष्णकान्त तिवारी एवं श्री कृष्णकान्त तिवारी पुत्र श्री शिव शंकर तिवारी के पक्ष मे आवंटित किया गया था। श्रीमती निधी तिवारी एवं श्री कृष्णकान्त तिवारी ने उक्त भवन का विक्रय विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व0 जयशकर सिंह को विक्रय करते हुए दिनांक 24.07.2015 को विक्रय विलेख निष्पादित करा दिया है। श्रीमती शान्ती पत्नी स्व0 जयशंकर के पक्ष में विक्रय उपरान्त अन्तरण आदेश संख्या–8153 दिनांक 06.10.2015 द्वारा निर्गत किया गया है। श्रीमती शान्ती सिंह की पुत्री एवं दामाद द्वारा मृत्यु की सूचना देते हुए वसीयत के आधार पर भवन संख्या–11A/186 का मृत्योपरान्त नामान्तरण अपने पक्ष में किये जाने का अनुरोध करते हुए निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये:–

1. प्रार्थना–पत्र।
2. मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
3. वसीयतनामा दिनांक 24.07.2015 की छायाप्रति।
4. रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
5. आई0डी0 प्रूफ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य मे कार्यालय के पत्र सं0 4269 दिनांक 19.06.2018 द्वारा मृत्योपरान्त नामान्तरण आवश्यक नोटिस निर्गत की गयी जिसके क्रम मे आवेदक द्वारा दिनांक 22.06.2018 को दैनिक समाचार पत्र "स्वतन्त्र भारत" एवं "स्वतन्त्र चेतना" में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। निर्धारित अवधि में कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के आधार पर भवन सं0–11A/186 का मृत्योपरान्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व0 जयशंकर सिंह से श्रीमती आराधना सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री ललिता सिंह के पक्ष मे उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद भूखण्डो एवं भवनों भूखण्डो एवं भवनों के पंजीकरण के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम जून–1986 यथा संशोधित मार्च–2016 के नियम–54 के अन्तर्गत आवास आयुक्त (म0) के आदेश दिनांक 16.07.2016 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मृत्योपरान्त नामान्तरण करने के आदेश इस शर्त के अधीन दिये जाते है, कि प्रदेशन एवं पंजीकरण के समस्त नियम व शर्तें श्रीमती आराधना सिंह एवं श्री अनिल कुमार सिंह पर लागू होंगी एवं भविष्य मे प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों मे कोई प्रपत्र असत्य, गलत, मिथ्या कथन पाये जाने पर अथवा भू प्रयोग परिवर्तित/विभाजन किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा, तथा विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत रहेगी।

(डी0के0 शुक्ला)
सम्पत्ति प्रबन्धक

पृष्ठ सं0 5386 /उक्त/ तददिनांक 30/7/18

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती आराधना सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री ललिता सिंह निवासी–11ए/186, वृन्दावन कालोनी, रायबरेली रोड, लखनऊ।
2. नोटिस बोर्ड।

सम्पत्ति प्रबन्धक